560

51
53

समक्ष राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा, जिला –रीवा म0प्र0

रामप्रसाद मिश्रा तनय स्व0श्री रामनाथ मिश्रा निवासी ग्राम छिरहाई तह0 रामनगर , जिला –सतना म0प्र0 --- आवेदक/निग0

बनाम

R. 3053-I/12

1–देवीदीन तनय त्रिलोकनाथ मिश्रा नि0 छिरहाई, तह0 रामनगर , जिला – सतना म0प्र0

2– मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार रामनगर जिला सतना म0प्र0 – अना0

3– अजय कुमार मिश्रा तनय स्व. श्री रामाधार मिश्रा हाल निवासी नई बस्ती पड़रा रेलवे मोड़ के पास रीवा तह. हुजूर जिला, रीवा म.प्र. गण

न्याय. श्रीमान् के आदेश दि. 23-1-18 के पालन में नाम जोड़ा

अधिवक्ता श्री के.वी. मिश्रा द्वारा प्रस्तुत रीवा, दि. 28-8-2012

28/8/12

निगरानी पुनरविलोकन हेतु अनुमति आदेश अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0 के प्र0क्र0 40/अ/27- 07–08, अनुमति आदेश दिनांक 5–11–11,

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0

3-9-12

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1 = यहकि आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110, म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत तहसीलदार रामनगर जिला सतना के न्यायालय मे प्रस्तुत कर आराजी नम्बर 260, 301, 303, एवं 304 रकबा क्रमशः 0.96 ए0, 2.56 ए0, 4.38 ए0, एवं 2.38 ए0 स्थित ग्राम छिरहाई तहसील रामनगर जिला सतना म0प्र0 कावारिसाना नामान्तरण अपने नाम किये जाने का

XXIX(a)-BR(H)-11

52

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक -निगरानी-3053-एक/12 **जिला** - सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/2/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रताप द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 05-11-11 के विरुद्ध पुर्नावलोकन की अनुमति हेतु प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २९/०४/१९ को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों। 6/2/19 **सदस्य**	